

VTDAODDINADA

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142] No. 142 | नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2000/फाल्गुन 16, 1921 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2000/PHALGUNA 16, 1921

जल, भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

अधिसचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2000

का आ 195(अ).— केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 § 1956 का 48 है की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की दिनांक 4 अप्रैल, 1957 की अधिस्चना सं० एस आर औ 1181 में निम्नलिखित संशोधन करती है अथाति :-

उक्त अधिस्वना की अनुस्वी में :-

§क्ष क्रम संख्या । और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जासंगी, अथात्ः—

٥.

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4,सं० 7 १६447.000 से 464.000 कि.मी. १नागपुर-हेदराबाद और 22.300 से 34.800 कि.मी. १हैदराबाद- बंगलौर तक छोड़ कर १ सं० १११विजयवाड़ा से मछलीपद्दनम खंड सहित १११० से 265.0 कि.मी. १नन्दीगांम से विजयवाड़ा तक छोड़कर ११, सं० 16, सं० 43, सं० 63, सं० 202 और सं० 205 का आंध्र प्रदेश में स्थित खंड और राठरा० 18

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार"

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 31, 31 सी, 5488नौगाँव असम राज्य 2 से सिल्चर खैंड सहित १४, 61,36,39,44,51, सरकार 52,52ए, 52 बी, 53 और 62 का असम राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 3। बी, 37 ₹ 156. 500 से 164. 395 कि. मी. गुवाहाटी बाइपास को छोड़कर १४, उर ए और उ8 राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 52 और 52 ए का अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश 2₹ राज्य में स्थित खंड । राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग संं0 39, 53 और 150 §येगांगपोक्पी− 2 बी मणिष्र तीपेइमुख में मणिपुर/मिजोरम सीमा तक का खंड § राज्य सरकार का मणिपर राज्य में स्थित खंड । राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 40 हडावकी से जोवाइ खंड 2 सी मेधालय सहित्र, 44, 51, 62 १वाघमारा से दालू खंड सहित्र । राज्य सरकार का मेघालय राज्य में स्थित खंड राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ५4, ५५ ए और १५० का 2 डी मिजोरम राज्य मिजोरम में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सरकार सं0 54 ए और 54 बी राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 36,39 और 61 का नागालैंड 2 ई नागालैंड राज्य में स्थित खंड । राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ४५ और ४५ ए का त्रिपुरा त्रिपुरा राज्य 2 एफ राज्य में स्थित खैंड । सरकार"

१ग१ क्रम सं0 3 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखत क्रम सं0 और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :--

*3 राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 6,19,23,28,31 है 410,000 से 419,000 और 470,00 से 476,150 कि.मी. हृप्णिया—गोयरकाटा है को छोड़कर है, 32,78,80 और 81 का बिहार राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 28 ए, 30,33,57,30 ए, 77,82, 83,84 और 85

बिहार राज्य सरकार"

१घ१ क्रम सं० 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निन्मलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :-

- "4 राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 3 है मुम्बई के लिए रा. रा. 4 के महाराष्ट्र साथ चौराहे से 561.0 से 585.0 कि. मी. को छोड़कर है, राज्य सरकार वि है धुले से महाराष्ट्र/गुजरात सीमा तक के खंड सहित है, है 149.80 से 166.0 कि. मी. है अमरावती बाइपास के को छोड़कर है है, 7 है है 9.200 से 22.850 और 24.650 से 36.600 कि. मी. है नागपुर-अदीलाबाद को छोड़कर है, 9,13,16,17 और 69 का महाराष्ट्र राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 4 बी, 50,204 और 211
- 4 ए राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 14 ई \$ 340.0 से 350.0 कि. मी. आब् रोड-डीसा तक छोड़कर ई ई, 15 और 59 का गुजरात राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 ए ई कंडला से मांडवी खंड सहित ई, 8 बी, 8 सी और 8 डी ।

गुजरात राज्य सरकार

§ड. § क्रम सं० 5 और उससे सर्बंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"5 राष्ट्रीय राजमार्ग सं०। ए का जम्मू के समीप लगभग । 25 मील से उरी तक जिसमें जवाहर सुरंग शामिल नहीं है और उसके पहुंच मार्ग का जम्मू और काश्मीर राज्य में स्थित हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं०। बी १ किश्तवाइ से स्यामथन पास के खंड सहित हैं तथा सं०। सी

जम्म् एवं कश्मीर राज्य सरकार" १व१ क्रम सं0 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

6 राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17, 47,49,208, 212 का केरल राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 ए और 213 केरल राज्य सरकार"

१ँछ१ क्रम सं0 7 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अथित् :-

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3 १ ६०, 000 से 70,000 कि. मी. आगरा-ग्वालियर १ ६, 6 ३ 308, 6 से 323, 6 कि. मी. दुर्ग बाइपास को छोड़कर १, 7,25,26,27,43,12,16, 69,59,202,78,75,200,79 और 76 का मध्य प्रदेश राज्य में स्थित खंड

मध्य प्रदेश राज्य सरकार"

१ँज१ क्रम सं० 8 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अथित्:-

तमिलनाड् राज्य सरकार"

8 ए राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ५5 ए १पांडिचेरी से नागपट्टीनम की और पांडिचेरी ∕तिमिलनाडु सीमा तक के खंड सहित् १००० और 66 का संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में स्थित खंड ।

पाँडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की सरकार" 9¥

१इा१ क्रम सं० ९ और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अथत्ः --

"9 राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4 १०.० से 592.0 कि.मी. १ इंग्लौर से कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा है तक छोड़कर है, सं० 4 र, ७ १ १ 524.00 से 527.00,535.00 से 538.00 और 538.00 से 539.00 कि.मी., हैदराबाद-बंग्लौर खंड को छोड़कर हैं हैं 0.0 से 33.00 कि.मी. १ बंग्लौर से कर्नेटक/तिमलनाडु सीमा को छोड़कर है, 9,13 १ चित्रदुर्ग से मंग्लौर खंड सहित है, 17,63,207,209 और 212 का कर्नाटक राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 48 और 206 कर्नाटक राज्य सरकार"

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ४ए, 17 का गोवा राज्य मैं स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 ए और 17 बी गोवा राज्य सरकार"

§ ठा ४ क्रम सं० 10 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"10 राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 हैं \$233 से 418 कि.मी. तक आंध्र प्रदेश/उड़ीसा सीमा से भुवनेश्वर तक छोड़कर हैं हैं \$0.0 से 200.00 कि.मी. भुवनेश्वर से खालासोर हैं, सं० 6,23,43,60 और 200 का उड़ीसा मैं स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5ए, 42, 201, 203 और 215

उड़ीसा राज्य सरकार"

हृंदह क्रम सं० ।। और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"।। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० । ११372.00 से 387.100 कि. मी. तक जालंधर बाइपास को छोड़कर११, । ए, ।०, 15, 20,21,22,70 और 7। का पंजाब राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ६५१ भटिण्डा से डबवाली खंड सहित१ ।

पंजाब राज्य सरकार

राष्ट्रीय राजमार्ग सँ० । ११२१, ३०० से ४४, ३०० कि. हरियाणा ।। ए मी. दिल्ली/हरियाणा सीमा से समालखा खंड राज्य सरकार को छोड़कर 🕻 🧗 , सं० 10,22,65,21 ए, 72,73 और 71 का हरियाणा राज्य में स्थित र्षंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 7। ए राष्ट्रीय राजमार्ग सं० । ए, 20,21,22,21ए, ।।दी हिमाचल प्रदेश 72. और 70 का हिमाचल राज्य में स्थित राज्य सरकार र्हेड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सै० 88 ।। सी राष्ट्रीय राजमार्ग सँ० । १४० 200 से 16.200 कि. राष्ट्रीय मी. दिल्ली १मजन का टीला के समीप है से राजधानी क्षेत्र दिल्ली/हरियाणा सीमा तक छोड़कर 🖔 सं0 10, दिल्ली की 24 का दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकार स्थित खंड । ।। डी राष्ट्रीय राजमार्ग सै० २। का सैघ राज्य क्षेत्र संघराज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में स्थित खंड चंडीगढ की सरकार" §ठ§ क्रम सं0 12 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सै0 और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :-राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 3 १४41.000 से 51.000 " 12 राजस्थान आगरा-धौलप्र खंड को छोड़करहं ३, सं० ।।,।2, राज्य सरकार" 14,15 और 65 १ फ्लेंहपुर से पाली खंड सहित है, सं0 79,76 का राजस्थान राज्य में स्थित खंड

तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सैं।। ए

§ड§ क्रम सं0 13 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :

"13 राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 3 ११८०० से 24.00 कि.मी. आगरा-ग्वालियर खंड को छोड़कर ११, 7,11,19,24 १२७.62 से 59.0 कि.मी. हापुड़ बाइपास सहित १ गाजियाबाद-हापुड खंड को छोड़कर १ तथा 148.43 से 166.65 कि.मी. १ मुरादाबाद बाइपास १ को छोड़कर १, 25 ११59.500 से 75.500 और 11.380 से 21.800 कि. मी. लखनऊ-कानपुर खंड को छोड़कर ११, सं0 26,28,72, 73,75 और 76 का उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 29.56.58 और 74

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार*

्रेंढ्रें क्रम सैं0 14 और उससे संबंधित प्रविक्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सें0 और प्रविक्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अथित्:-

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार

14ए राष्ट्रीय राजमार्ग सै० 31 एका सिक्किम राज्य मैं स्थित खेंड 1

सिक्किम राज्य सरकार"

[फा॰ सं॰ एन एच-14019/3/99-पी एल] प्रफुल्ल कुमार, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

नोटः मूल अधिस्वना दिनांक ४.४.१९५७ को एस आर औ । 181 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और दिनांक 1.12.1998 के का.आ. 1024 १अ१ और दि० ४.2.1999 के का.आ. ७७१४ द्वारा संगोधित की गई थी ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Roads Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2000

S.O. 195(E)— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Surface Transport No.S.R.O.1181 dated the 4th April 1957, namely:-

In the said notification, in the Schedule,-

(a) for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"1	So much of National Highways No.4, No.7 [(excluding from Km.447.000 to Km.464.000 (Nagpur-Hyderabad) and from Km.22.300 to Km.34.800 (Hyderabad-Bangalore)], No.9 [(including portion from Vijayawada to Machilipatnam)] [(excluding from 217.0 Km to 265.0 Km (Nandigama to Vijayawada)], No.16, No.43, No.63, No.202 and No.205 as are situated within the State of Andhra Pradesh and NH-18	

(b) for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"2	So much of National Highways No.31, No.31C, No.54 [(including portion from Nagoan to Silchar)], No.61, No.36, No.39, No.44, No.51, No.52, No.52A, No.52B, No.53 and No.62 as are situated within the State of Assam and National Highways No.31B, No.37 [(excluding from Km.156.500 to Km.164.395 Guwahati Bypass)], No.37A and No.38.	5
2A	So much of National Highways No.52, and No.52A as are situated within the State of Arunachal Pradesh.	State Government of Arunachal Pradesh
2B	So much of National Highways No.39, No.53, and No.150 (the portion from Yaingangpokpi-Manipur/Mizoram Border at Tipaimukh) as are situated within the State of Manipur.	State Government of Manipur
2C	So much of National Highways No.40 (including portion from Dawki to Jowai), No.44, No.51, No.62 (including portion from Baghmara to Dalu) as are situated within the State of Meghalaya.	State Government of Meghalaya
2D	So much of National Highways No.54, No.44A, and No.150 as are situated within the State of Mizoram and National Highways No.54A and No.54B.	
2E	So much of National Highways No.36, No.39 and No.61 as are situated within the State of Nagaland.	State Government of Nagaland
2F	So much of National Highways No.44, No.44A, as are situated within the State of Tripura.	State Government of Tripura";

(c) for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"3	So much of National Highways No.6, No.19, No.23,	State Government of
	No.28, No.31, [(excluding from Km.410.000 to	Bihar";
1	Km.419.000 & Km.470.000 to Km.476.150 (Purnea-	
	Goyerkata)], No.32, No.78, No.80 and No.81as are	
}	situated within the State of Bihar and National Highways	İ
	No.28A, No.30, No.33, No.57, No.30A, No.77, No.82, No.	
	83, No. 84 and No. 85.	

(d) for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"4	So much of National Highways No.3 (excluding from Km 561.0 to Km 585.0 from Junction with NH-4 to Mumbai), No.6 (including portion from Dhule to Maharashtra/Gujarat border), [(excluding from Km 149.80 to Km 166.0 (Amravati bypass)], No.7 [(excluding from Km.9.200 to Km.22.850 and of Km.24.650 to Km.36.600 Nagpur-Adilabad)], No.9, No.13, No.16, No.17 and No.69 as are situated within the State of Maharashtra and National Highways No.4B No.50, No.204 and No.211.	
4A	So much of National Highways No.14 [(excluding from Km.340.000 to Km.350.000 Abu Road – Deesa)], No.15 and No.59 as are situated within the State of Gujarat and National Highways No.8A (including portion from Kandla to Mandvi), No.8B No.8C and No.8D.	

(e) for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

*5	National Highways No.1A from approx. mile 125 (from Jalandhar) near Jammu and upto Uri except the Jawahar Tunnel and the approach road thereto as is situated within the State of Jammu and Kashmir and National Highways No., 1B (including portion from Kishtwar to Symthan pass and No.1C.	
----	---	--

(f) for serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"6	So much of National Highways No.17, No.47, No.49,	State Government of
1	No.208, No.212 as are situated within the State of Kerala	Kerala";
	and National Highways No., 47A and No.213.	

(g) for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

*7	So much of National Highways No.3 [(excluding from	State Government of
	Km.60.000 to Km.70.000 Agra-Gwalior)], No.6, (excluding	Madhya Pradesh";
	from Km 308.6 to Km 323.6, Durg bypass) No.7, No.25,	
	No.26, No.27, No.43, No.12, No.16, No.69, No.59,	
	No.202, No.78, No.75, No.200, No.79, and No.76 as are	
<u> </u>	situated within the State of Madhya Pradesh.	

for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

*8	So much of National Highways No.4 [excluding from Km 0.0 to Km 103.0 (from Chennai to Ranipet)], No.7 [(excluding from Km.134.000 to Km.141.000 & Km.156.000 to Km.163.400, Krishnagiri-Salem-Madurai)] [excluding from Km 33.0 to Km 94.0 (Hosur to Krishnagiri)], and No.45A [(including portion from Tamil Nadu/Pondicherry border to Nagapattinam)], No.47 No.49, No.66, No.205, No.207, No.208 and No.209 as are situated within the State of Tamil Nadu and National Highways No.7A, No.67, No.68, No.45B and No.210.	
8A	So much of National Highways No.45A [including portion Pondicherry to Pondicherry/Tamil Nadu border on Nagapattinam side and No.66 as are situated within the Union Territory of Pondicherry.	Territory of

for serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

*9	So much of National Highways No.4 [excluding from Km 0.0 to Km 592.0 (from Bangalore to Karnataka/Maharashtra border)], No.4A, No.7 [(excluding from Km.524.000 to Km.527.000, Km.535.000 to Km.538.000 and Km.538.000 to Km.539.000 Hyderabad-Bangalore)] [excluding from Km 0.0 to Km 33.0 (from Bangalore to Karnataka/Tamil Nadu Border)], No.9, No.13 [(including portion from Chitradurga to Mangalore)], No.17 No.63, No.207, No.209 and No.212 as are situated within the State of Karnataka and National Highways No.48 and No.206.	Karnataka
9A	So much of National Highways No.4A, No.17 as are situated within the State of Goa and National Highway No.17A and No.17B.	

(j) for serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"10	So much of National Highways No.5 [(excluding from Km	
1	233 to Km 418 from Andhra Pradesh/Orissa border to	Orissa ";
	Bhubaneshwar)] [(from Km 0.0 to Km 200.0 from	
	Bhubaneshwar to Balasore)], No.6, No.23, No.43, No.60	
	and No.200 as are situated within the State of Orissa and	
	National Highways No.5A, No.42, No.201, No.203 and	
	No.215.	

(k) for serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"11	So much of National Highways No.1 [(excluding from Km.372.700 to Km.387.100 forming Jalandhar Bypass)], No.1A, No.10, No.15, No.20, No.21, No.22, No.70 and No.71 as are situated within the State of Punjab and National Highway No.64 (including portion from Bhatinda to Dabwali).	h
11A	So much of National Highways No.1 [(excluding from Km.29.300 to Km.44.300 forming Delhi/Haryana Border to Samalkha)], No.10, No.22, No.65, No.21A, No.72, No.73 and No.71 as are situated within the State of Haryana and National Highway No.71A.	State Government of Haryana
11B	So much of National Highways No.1A, No.20, No.21, No.22, No.21A, No.72 and No.70 as are situated within the State of Himachal Pradesh and National Highway No.88.	
11C	So much of National Highways No.1 [(excluding from Km.8.200 to Km.16.200 forming Delhi (Near Majnu Ka Tila) to Delhi/Haryana border)], No.10 and No.24 as are situated within the National Capital Territory of Delhi.	Government of National Capital Territory of Delhi
11D	So much of National Highways No.21 as is situated within the Union Territory of Chandigarh	Government of Union Territory of Chandigarh";

(I) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"12	So much of National Highways No.3 [(excluding from	State Government of
	Km.41.000 to Km.51.000 Agra-Dholpur)], No.11, No.12,	Rajasthan";
	No.14, No.15, No.65 (including portion from Fatehpur to	_
	Pali), No.79, No.76 as are situated within the State of	
	Rajasthan and National Highway No.11A.	

(m) for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"13 So much of National Highways No.3 [(excluding Km.8.000 to Km.24.00 Agra-Gwalior)], No.7, No.19, No.24 [excluding from Km 27.62 to Km (Ghaziabad-Hapur including Hapur bypass) and exclifrom Km 148.43 to Km 166.65 (Moradabad byp No.25 [(excluding from Km.59.500 to Km.75.500 Km.11.380 to Km.21.800 Lucknow-Kanpur)], No.28, No.72, No.73, No.75 and No.76 as are sit within the State of Uttar Pradesh and National High No.29, No.56, No.58 and No.74.	lo.11, Uttar Pradesh"; 59.0 uding pass)] and lo.26, uated
---	---

(n) for serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

*14	So much of National Highways No.6 [excluding from Km 0.0 to Km 136.0 (from Calcutta to Kharagpur)], No.31 [(excluding from Km.447 to Km.470 & Km.476.150 to Km.500 Dalkhola to Islamapore sub-section 1 & 2)], No.31A, No.31C, No.32 and No.60 [including portion from Kharagpur to Asansol) as are situated within the State of West Bengal and National Highways No.34, No.35, No.41 and No.55.	West Bengal
14A	So much of National Highway No.31A as is situated in the State of Sikkim.	State Government of Sikkim".

[F. No. NH-14019/3/99-PL]

PRAFULLA KUMAR, Director General (Road Development) & Addl. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India vide No.S.R.O. 1181 dated 4.4.1957 and last amended vide S.O.1024(E) dated 1 12.1998 and SO 77(E) dated 4 2 1999.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2000

का. आ. 196(अ).— केन्द्र सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न तालिका के कालम (१) में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के सामने उक्त तालिका के कालम (२) में यथा उल्लिखित संगत खंडों के उक्त तालिका के कालम (३) में यथाविनिर्दिष्ट भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	भाग किलोमीटर में
1.	2.	3.
1	जालंघर बाइपास (पंजाब राज्य में)	372.700 कि॰मी॰ से 387.100 कि॰मी॰ तक
1	दिल्ली /हरियाणा सीमा से समालखा (हरियाणा राज्य में)	29.300 कि॰मी॰ से 44.300 कि॰मी॰ तक
1	दिल्ली (मंजनू का टीला के समीप) दिल्ली/हरियाणा सीमा खंड (दिल्ली राज्य में)	8.200 कि॰मी॰ से 16.200 कि॰मी॰ तक
3	आगरा-ग्वालियर खंड (उत्तर प्रदेश राज्य में)	8.000 कि॰मी॰ से 24.000 कि॰मी॰ तक
3 ;	आगरा-धौलपुर खंड (राजस्थान राज्य में)	41.000 कि॰मी॰ से 51.000 कि॰मी॰ तक

3	आगरा-ग्वालियर खंड	60.000 कि॰मी० से 70.000 कि॰मी० तक
	(मुरैना की ओर चम्बल सीमा)	
	(मध्यप्रदेश राज्य में)	
7	नागपुर-अदीलाबाद खंड	9.200 कि॰मी॰ से 22.850 कि॰मी॰तक और
	(महाराष्ट्र राज्य में)	24.650 कि॰मी॰ से 36.600 कि॰मी॰ तक
7	नागपुर-हैदराबाद खंड	447.000 कि॰मी॰ से 464.000 कि॰मी॰ तक
	(आंध्र प्रदेश राज्य में)	
7	हैदराबाद -बंगलीर खंड	22.300 कि॰मी॰ से 34.800 कि॰मी॰ तक
	(आंध्र प्रदेश राज्य में)	
7	हैदराबाद-बंगलौर खंड	524.000 कि॰मी॰ से 527.000 कि॰मी॰,
	(कर्नाटक राज्य में)	535.000 कि॰मी॰ से 538,000 कि॰मी॰ और
		538.000 कि॰मी॰ से 539.000 कि॰मी॰ तक
7	कृष्णागिरि-सलेम-मदुरै खंड	134.000 कि॰मी॰ से 141.000 कि॰मी॰ तक
	(तमिलनाडू राज्य में)	
7	बंगलौर-सलेम-मदुरै खंड	156.000 कि॰मी॰ से 163.400 कि॰मी॰ तक
	(तमिलनाडू राज्य में)	
14	आबू रोइ-दीशा खंड	340.000 कि॰मी॰ से 350.000 कि॰मी॰ तक
	(गुजरात राज्य में)	
25	लखनऊ-कानपुर खंड	11.380 कि॰मी॰ से 21.800 कि॰मी॰ तक
	(उत्तर प्रदेश राज्य में)	
25	लखनऊ-कानपुर खंड	59.500 कि॰मी॰ से 75.500 कि॰मी॰ तक
	(उत्तर प्रदेश राज्य में)	
31	डलखोला से इस्लामपुर उप-खंड-।	447 किं० मी० से 470 किं० मी० तक
	(पश्चिम बंगाल राज्य में)	
31	डलखोला से इस्लामपुर उप-खंड-2	476.150 कि॰मी॰ से 500 कि॰मी॰ तक
	(पश्चिम बंगाल राज्य में)	
31	पूर्णिया-गोयरकाटा खंड	410.000 कि॰मी॰ से 419.000 कि॰मी॰ और
	(बिहार राज्य में)	470.000 कि॰मी॰ से 476.150 कि॰मी॰ तक
37	गोवाहाटी बाइपास खंड	156.500 कि॰मी॰ से 164.395 कि॰मी॰ तक
	(असम राज्य में)	

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2000

s.o. 196(E)— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) the Central Government hereby entrusts the stretches as specified in column (3) of the Table annexed hereto, of the corresponding Section as mentioned against them in column (2) of the said Table, of the National Highway as described in column (1) of the Table, aforesaid to the National Highway Authority of India.

TABLE

National Highway	Section	Stretch in kilometer
Number		
(1)	(2)	(3)
1	Jalandhar Bypass	Km.372.700 to Km.387.100
	(in the state of Punjab)	
1	Delhi/Haryana Border to Samalkha	Km.29.300 to Km.44.300
	(in the State of Haryana)	
1	Delhi (Near Majnu Ka Tila) to	Km.8,200 to Km.16.200
į	Delhi/Haryana Border Section	
	(in the State of Delhi)	
3	Agra-Gwalior Section	Km.8.000 to Km.24.000
	(in the State of Uttar Pradesh)	
3	Agra-Dholpur Section	Km.41.000 to Km.51.000
	(in the State of Rajasthan)	
3	Agra-Gwalior Section	Km.60.000 to Km.70.000
	(Chambal border towards Morena)	
	(in the State of Madhya Pradesh)	
7	Nagpur-Adilabad Section	Km.9.200 to Km.22.850 and of
	(in the State of Maharashtra)	Km.24.650 to Km.36.600
7	Nagpur-Hyderabad Section	Km.447.000 to Km.464.000
	(in the State of Andhra Pradesh	
7	Hyderabad-Bangalore Section	Km.22.300 to Km.34.800
	(in the State of Andhra Pradesh)	
7	Hyderabad-Bangalore Section	Km.524.000 to Km.527.000,
	(in the State of Karnatର୍ka)	Km.535.000 to Km.538.000 and
		Km.538.000 to Km.539.000
7	Krishnagiri-Salem-Madurai Section	Km.134.000 to Km.141.000
	(in the State of Tamil Nadu)	
7	Bangalore-Salem-Madurai Section	Km.156.000 to Km.163.400
	(in the State of Tamil Nadu)	
14	Abu Road - Deesa Section	Km.340.000 to Km.350.000
	(In the State of Gujarat)	
25	Lucknow-Kanpur Section	Km.11.380 to Km.21.800
	(in the State of Uttar Pradesh)	

25	Lucknow-Kanpur Section (in the State of Uttar Pradesh)	Km.59.500 to Km.75.500
31	Dalkhola to Islampore sub-section 1 (in the State of West Bengal)	Km.447 to Km.470
31	Dalkhola to Islampore sub-section 2 (in the State of West Bengal)	Km.476.150 to Km.500
31	Purnea-Goyerkata Section (in the State of Bihar)	Km.410.000 to Km.419.000 and Km.470.000 to Km.476.150
37	Guwahati Bypass Section (in the State of Assam)	Km.156.500 to Km.164.395

[F. No. NH-14019/3/99-PL]

PRAFULLA KUMAR, Director General (Road Development) & Addl. Secy.